न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर, केम्प जबलपुर

पुनरीक्षण प्रक.क्र.– I/निगरानी/जबलपुर/भू.रा./2017/6374

1. कैलाश खंगार पिता सुन्नी खंगार उम्र 40 वर्ष करीब
2. राजेश काछी पिता मेवालाल काछी उम्र 35 वर्ष करीब
3. बलीराम उर्फ बल्ली काछी पिता ओंकार काछी उम्र 52 वर्ष

सभी निवासी ग्राम केवलारी तहसील सिहोरा जिला जबलपुर

—— पुनरीक्षणकर्त्तागण

26 DEC 2017

विरूद्ध

अंकित जैन पिता अशोक कुमार जैन उम्र 30 वर्ष करीब
निवासी 352, तुलाराम चौक जबलपुर जिला जबलपुर

——उत्तरापेक्षी

पुनरीक्षण आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्त्ता गण न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय सिहोरा द्वारा रा. प्रक.क्र. 39–अ–70/16–17 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 18/12/2017 से व्यथित होकर अन्य के साथ निम्न लिखित आधारों पर यह पुनरीक्षण पेश करते हैं:–

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि ग्राम केवलारी प0ह0नं0 25 रा0नि0मं0 खितौला तहसील सिहोरा जिला जबलपुर स्थित भूमि ख0नं0 79 उन्यासी रकबा 0.480 शून्य दशमलव चार आठ शून्य है0 भूमि है जिसका पूर्व ख0नं0 52 बावन है। वर्तमान में इस भूमि के दो बटांक हो गए हैं 79/1 उन्यासी बटा एक एवं 79/2 उन्यासी बटा दो। इस मूल ख0नं0 79 उन्यासी के पूर्व में ओंकार की जमीन पश्चिम में शासकीय आबादी भूमि उत्तर में शासकीय नाला तथा दक्षिण में रामकिशन की भूमि है। इस भूमि के संबंध में हक संबंधी विवाद न्यायालय श्रीमान् अहमद रजा व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 1 सिहोरा के न्यायालय में लंबित है। जिसकी पेशी दिनांक 05.01.2018 को व्यवहार न्यायालय सिहोरा के समक्ष नियत है।
2. यह कि उसी विवादित भूमि के बटांक खसरा नंबर की भूमि को उत्तरापेक्षी ने विवादित होने के कारण बाहुबल के आधार पर निपटाने की नीयत से खरीदकर पुनरीक्षणकर्त्तागण के विरूद्ध एक आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 250 भू राजस्व संहिता के तहत पेश किया है जिसकी कार्यवाही तहसीलदार सिहोरा द्वारा बहुत ही तेजी से की जा रही है।
3. यह कि पुनरीक्षणकर्त्तागण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का एक आवेदन पत्र पेश किया था कि चूंकि एक ही भूमि के संबंध में जब व्यवहार न्यायालय में हक संबंधी विवाद चल रहा है तो फिर उसी भूमि के संबंध में

XIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – एक / निग0 / जबलपुर / भू.रा. / 2017 / 6374 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02/01/18	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निग0 तहसीलदार सिहोरा के प्रकरण कमांक 39 / अ–70 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 18–12–17 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में व्यवहार न्यायालय के आदेश के आधार पर प्रकरण समाप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार ने उक्त आवेदन इस आधार पर निरस्त किया गया है कि व्यवहार न्यायालय के आदेश दिनांक 22–4–13 द्वारा निर्धारित 6 माह की अवधि पूर्व में ही व्यतीत हो चुकी है एवं लगभग 4 वर्ष हो चुके हैं । उनहोंने यह भी स्पष्ट किया है कि वरिष्ठ न्यायालय से भूमि पर कब्जा करने संबंधी लंबित प्रकरण के संबंध में निषेधाज्ञा जैसे ही प्राप्त होगी अग्रिम कार्यवाही की जावेगी । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है । पक्षकार सूचित हों । प्रशा0 सदस्य	